पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 9994/अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक : 25/03/2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक बुधवार, दिनांक 20.03.2013 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती)आभा रूपेन्द्रपाल – सदस्य
3. प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल – सदस्य
4. प्रो. व्यासनारायण दुबे – सदस्य
5. प्रो. ए.के. शर्मा – सदस्य
6. प्रो. बी.के. शर्मा – सदस्य
7. प्रो. मिताश्री मित्रा – सदस्य
8. डॉ. दीपक कारकून – सदस्य
9. डॉ. अरविंद गिरोलकर – सदस्य
10. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला – सदस्य
11. डॉ. एम.आई. मेमन – सदस्य
12. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम – सदस्य
13. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
14. श्री ललित सुरजन – सदस्य
15. डॉ. रवि भोई – सदस्य
16. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 28.02.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 28.02.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2013 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. वार्षिक परीक्षा 2013 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के अंतर्गत परीक्षा पूर्व किये गये कार्य का देयक राशि रू. 16,89,639.00 की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2013 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के अंतर्गत मेसर्स, ओसवाल कम्प्युटर्स एंड कन्सल्टेंट प्रा.लि. इन्दौर द्वारा परीक्षा पूर्व किये गये कार्य का प्रस्तुत देयक रु. 16,89,639/– (रुपए सोलह लाख नवासी हजार छः सौ उनचालीस मात्र)के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

04. **अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा 21 की उपधारा (06)(ए) के अंतर्गत अनुचित साधन समिति के गठन बाबत।**

निर्णय : अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 21 की उपधारा (06)(ए) के अंतर्गत अनुचित साधन समिति के गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

05. **डॉ. संजय चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक, शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर को साफ्टबाल (पुरूष) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रू. 73,324/– के विरूद्ध 68,659/– रूपए व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।**

निर्णय : डॉ. संजय चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.ब.महिला महाविद्यालय, रायपुर को सॉफ्टबाल (पुरुष) अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रु. 73,324/– के विरूद्ध रु. 68,659/– व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर जांच कराई जाय कि संबंधित ,देयक प्राप्त होने के बाद नही मिलने के लिए, कौन जिम्मेदार है तथा संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा देयक समयसीमा में प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं।

06. **डॉ. शबनूर सिद्दीकी, प्राध्यापक, इतिहास शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा साफ्टबाल (महिला) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रू. 73,324/– के विरूद्ध 93,602/– रूपए व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।**

निर्णय : डॉ. शबनूर सिद्‌दीकी, प्राध्यापक,इतिहास, पं.श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा को सॉफ्टबाल (महिला) अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रु. 73,324/– के विरूद्ध रु. 93,602/– व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर जांच कराई जाय कि संबंधित देयक प्राप्त होने के बाद नही मिलने के लिए, कौन जिम्मेदार है तथा संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा देयक समयसीमा में प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं।

07. **अधिवक्ता, श्री राकेश श्रोती की नियुक्ति एवं प्रति प्रकरण पैरवी हेतु शुल्क का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।**

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

08. विश्वविद्यालय में 1997 से पूर्व कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12—1/2007/1—3 रायपुर, दिनांक 05 मार्च, 2008 के बिंदु क्रमांक 3 के आधार पर उल्लेखित अर्हता प्राप्त नही करने के कारण प्रस्ताव अमान्य किया जावे।

पूरक विषयसूची—

01. वित्तीय सत्र 2011—12 का वास्तविक आय—व्यय पत्रक, सत्र 2012—13 का पुनरीक्षित आय—व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : वित्तीय सत्र 2011—12 के वास्तविक आय—व्यय पत्रक, सत्र 2012—13 के पुनरीक्षित आय—व्यय पत्रक एवं सत्र 2013—14 के अनुमानित आय—व्यय पत्रक का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही निम्नलिखित निर्णय लिया गया कि —

(i) ''असाधारण एवं असामान्य प्रकरणों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सहायता करने के लिए कुलपति आकस्मिक सहायता निधि/कुलपति आकस्मिक कल्याण निधि की स्थापना की जाय तथा इस हेतु रेगुलेशन भी बना लिया जाय, जिससे असाधारण एवं असामान्य प्रकरणों पर सहायता के लिये विचार किया जा सके। सत्र 2013—14 के अनुमानित व्यय पत्रक में रुपए 1,00,000/— (रुपए एक लाख मात्र) का प्रावधान किया जावे।''

(ii) सत्र 2013—14 के अनुमानित आय व्यय पत्रक में स्टूडेंट हाबी के लिए रू. 1लाख प्रावधान किया जावे।

(iii) महिला अध्ययन केन्द्र के लिए बजट प्रावधान रखा जावे।

02. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 15.03.2013 की कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 15.3.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय के साथ किया गया :

(i) जिन भवनों के लिए वर्क आर्डर जारी होने के साथ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, उन पर उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य का आकलन करते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावे।

(ii) जिन भवनों के लिए प्रथमतः प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाना है, उनके लिए अनुमानित लागत का 33 प्रतिशत राशि प्रदान किया जावे।

(iii) जो निर्माण कार्य 10 लाख के अंदर है उसके लिए पूरी राशि डिपाजिट वर्क के अंतर्गत प्रदान किया जावे।

03. वार्षिक परीक्षा 2013 के लिये केन्द्र अग्रिम की द्वितीय किश्त (104 महाविद्यालयों को) राशि रू. 63,44,000/– भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2013 के लिए केन्द्र अग्रिम की द्वितीय किश्त राशि रुपए 63,44,000/– भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. अकादमिक स्टाफ कॉलेज में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की स्थायी नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अकादमिक स्टॉफ कॉलेज में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के स्थायी नियुक्ति के प्रकरण पर विधिक अभिमत लेकर विस्तृत टीप के साथ प्रस्तुत किया जावे।

02. ब्लेज़र क्रय के लिये रू. 5,97,700/– की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लेजर क्रय के लिए रुपए 5,97,700/– की स्वीकृति प्रदान की गई।

03. 20 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : 20 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रकरण पर शासन के द्वारा जारी आदेश को अंगीकृत किया गया तथा आदेश में उल्लेखित बिंदुओं के तहत आवश्यकतानुसार आदेश जारी करने के बाद तद्नुसार 20 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया गया।

04. नवनियुक्त कर्मचारी कु. चन्द्रिका साहू के रेल दुर्घटना में आकस्मिक निधन होने के पश्चात् अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होने के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि चूंकि संबंधित कर्मचारी का परिवार अत्यंत कमजोर वर्ग का है। प्रकरण असाधारण एवं असमान्य प्रकृति का है, अतः विशेष प्रकरण मानते हुए शासन के नियमानुसार देय अनुग्रह राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

05. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क सत्र 2013–14 से 10 प्रतिशत वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. 01 मई 2013 को विश्वविद्यालय की स्थापना के 50वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, अतः इस अवसर पर इस तिथि को पूरे दिन भर शैक्षणिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाय। मुख्य अतिथि अथवा व्याख्यान हेतु डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन, डॉ. कर्ण सिंह एवं पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, श्री नारायण मूर्ति, श्री लाल जी सिंह, श्री भौमिक अजय, आदि महानुभावों को आमंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाय।

07. विश्वविद्यालय में इंडियन कॉफी हाऊस द्वारा केंटीन चलाने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाय।

08. एलुमिनी मीट के लिए वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

09. वित्त विभाग द्वारा राशि भुगतान एवं राशि प्राप्त करने के लिए कोर बैंकिंग के माध्यम से किया जाय।.

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ. क्रमांक : 9995 /अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक 25 /03/2013

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25-3-13

प्रभारी अधिकारी (अका.)